महत्वपूर्ण एवं खास

राज्यपाल डेका को ऑल इंडिया रोड कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने मिला आमंत्रण

रायपुर (आरएनएस)। राज्यपाल रमेन डेका से आज राजभवन में लोक निर्माण के अधिकारियों ने मुलाकात कर उन्हें ऑल इंडिया रोड कांग्रेस के 8वें अधिवेशन के लिए आमंत्रण दिया। छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित यह अधिवेशन 8 से 11 नवम्बर 2024 तक साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में होगा। जिसमें देशभर के राज्यों के लोक निर्माण के अधिकारी, कंस्ट्रक्शन विशेषज्ञ, डिजाइनर, स्टेट हाईवे के अधिकारी, तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थी आदि शामिल होंगे।

शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर 33 लाख से अधिक की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर में साइबर ठगी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक रिटायर्ड शिक्षक को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाया गया। ठगों ने शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर 33 लाख 57 हजार रुपए की ठगी कर दी। यह घटना रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र की है, जहां रिटायर्ड शिक्षक चंद्रमणि पांडेय ने ठगों के द्वारा किए गए झांसे में आकर भारी रकम निवेश कर दी। साइबर ठग ने खुद को प्रोफेसर बताकर चंद्रमणि पांडेय से संपर्क किया और शेयर मार्केट में निवेश करने का लालच दिया। ठग ने प्रोफेसर बनकर एक लिंक भेजा, जिससे पांडेय ने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करने का निर्णय लिया। साइबर ठग ने रिटायर्ड शिक्षक से एक के बाद एक कई किश्तों में पैसे जमा करवाए। शुरुआत में शेयर बाजार में लाभ मिलने का दावा किया गया, जिसके बाद रिटायर्ड शिक्षक ने विश्वास करके और अधिक पैसे जमा किए। लेकिन जैसे ही उन्होंने और पैसे भेजे, उनके अकाउंट से पैसे कटने शुरू हो गए। इस ठगी में रिटायर्ड शिक्षक के अकाउंट से कुल 33 लाख 57 हजार रुपये कट गए, जिसके बाद पीड़ित रिटायर्ड शिक्षक को एहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो गए हैं। तुरंत उन्होंने मुजगहन थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई, और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि ठगों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और यह मामला साइबर अपराध के तहत दर्ज किया गया है।

चाकू के साथ दो बदमाश गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देशन पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले के मार्गदरशन तथा नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने व चाकुबाजो के ऊपर कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस के कार्य से अवैध रुप से चाकू रखे चाकुबाजो को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। नाम आरोपी- 01. आशीष यादव उर्फ बबलू पिता बीरेंद्र यादव उम्र 25 वर्ष निवासी गिट्टी खदान कुशालपुर शिव मंदिर के पास थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़। 02. खेमकरण धुरव उर्फ फाइटर पिता गणेश धुरव उम्र 20 वर्ष निवासी इंदिरा चौक पटवा दुकान के सामने आदिवासी कॉलोनी कुशालपुर थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़। धारधार दो नग लोहे का बटनदार चाकू जब्त किया।

एडीएम जांगड़े ने जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की ली बैठक

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में एडीएम संतन देवी जांगड़े ने अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में ली।

बैठक में एडीएम जांगड़े ने अनुसूचित जाति, जनजाति मामलों के संबंध में जानकारी लेते हुए अधिनियम के अधीन पुलिस विवेचना में दर्ज प्रकरण, चालान, पेश, खात्मा, खारिज हेतु लंबित प्रकरण की जानकारी ली। इसी प्रकार अधिनियम के अधीन न्यायालय (जिला लोक अभियोजन) में लंबित प्रकरण, अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत अनुरक्षण अनुदान तथा राहत पुनर्वास सहायता के संबंध में विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने उक्त सभी प्रकरणों में न्यायालय में प्रभावी ढंग से अभियोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं अनुरक्षण अनुदान के तहत यात्रा भत्ता की थानेवार जानकारी लेने एवं फंड आबंटन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को राशि उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, जनजाति एक्ट के तहत पीड़ित व्यक्ति को प्रदाय की जाने वाली राशि की समीक्षा की।

उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत इन जातियों के किसी भी सदस्य को क्षति पहुंचाने, अपमानित करने, भूमि पर जबरन कब्जा करने, बंधुआ रखने, बेगार के लिए मजबूर करने, महिला का अनादार करने, शील भंग करने के ध्येय से बल प्रयोग करने और अधिकारों से वंचित करने पर 6 माह से 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। कोई भी लोकसेवक जो इन जातियों का सदस्य नहीं है यदि इस नियम के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उसे 6 माह की सजा हो सकती है। राज्य सरकार के अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (आकस्मिकता योजना) नियम 1995 लागू किए गए है। जिनका उद्देश्य जरूरतमंद अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा ऐसे अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों को तुरंत सहायता एवं राहत पहुंचाना है, जो सामान्य वर्ग के किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा उत्पीड़ित है। जो निर्धनता एवं असहाय अवस्था के कारण संकटापन्न स्थिति में है और जिसे शासन द्वारा किसी योजना या स्त्रोत से आर्थिक सहायता मिलने की संभावना नहीं है।

बैठक में सहायक संचालक आदिम जाति विकास कल्याण आकांक्षा पटेल, डॉ.पवन जायसवाल, सनत नायक, उप संचालक लोक अभियोजन वेद प्रकाश पटेल, विशेष लोक अभियोजक (एट्रोसिटी) राजीव बेरीवाल, डीपीओ महिला एवं बाल विकास एल.आर. कच्छप, योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी सिलवेस्टर कुजूर, छेदूराम राठिया उपस्थित रहे।

विधि उल्लंघनकारी बालकों को भविष्य में अपराधों से दूर रहने एवं अध्ययन में रूची बनाने हेतु किया गया प्रेरित

❒ बाल संप्रेक्षण गृह में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

रायगढ़

जिला एवं सत्र न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के तहत बाल संप्रेक्षण गृह रायगढ़ में विधिक साक्षरता शिविर 2024 का आयोजन किया गया। मौके पर बाल संप्रेक्षण गृह में निरूद्ध विधि उल्लंघनकारी बालकों को नि:शुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गई। साथ उन्हें शिक्षा की महत्ता तथा समाज में अच्छे कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया। जिसमें विधि उल्लंघनकारी बालकों से उनके प्रकरणों, उनके दिनचर्या एवं उनके खेलकूद के बारे में भी जानकारी ली गई। मौके पर बाल संप्रेक्षण गृह में दिये जाने वाले भोजन की जांच की गई तथा सभी विधि उल्लंघनकारी बालकों से यह सुनिश्चित किया गया की उनको प्रकरणों की पैरवी के लिये अधिवक्ता है या नहीं यदि ना हो तो उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराये जाने के बारे में बताया गया। विधि उल्लंघनकारी बालकों को भविष्य में अपराधों से दूर रहने एवं अध्ययन में अपनी रूची बनाने हेतु प्रेरित किया गया। विधिक साक्षरता शिविर 2024 रायगढ़ में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रतिभा वर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ अंकिता मुदलियार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कु. प्रीति उपस्थित रहे।

शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर ठगी, गिरफ्तार

जांजगीर-चांपा | आरएनएस

जिले में छत्तीसगढ़ शिक्षाकर्मी एवं प्रयोगशाला सहायक पद पर वर्ष 2019 में नौकरी लगाने के नाम पर सुलोचना बंजारे और कृष्ण कश्यप से 3 लाख रुपए की ठगी के आरोपी शिक्षक मनमोहन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बालको नगर कोरबा की रहने वाली सुलोचना बंजारे ने शिकायत दर्ज कराई की छत्तीसगढ़ शिक्षाकर्मी एवं प्रयोगशाला सहायक पद पर वर्ष 2019 में वैकेंसी में फार्म भरी हुई थी। इस बीच रिश्तेदार के माध्यम से मनमोहन सिंह से जान पहचान हुई जोकि पुटपुरा के शासकीय मिडिल स्कूल में शिक्षक के पद पर पदस्थ है। मनमोहन सिंह ने नौकरी के लिए 5 से 6 लाख रुपए लगने की बात कही और अपने घर न्यू चंदनिया पारा जांजगीर बुलाया था इस बीच 14 अक्टूबर 2019 को पति उनके चाचा के साथ पहुंचे हुए थे। मनमोहन ने कहा कि रिजल्ट आने वाला है जल्दी से पैसे दोगे तो लिस्ट में नाम आने की बात कही जिसपर विश्वास में 1.50 लाख रुपए नगदी रकम दिए। वही नेहरू नगर बालको का रहने वाल कृष्णा कश्यप ने भी 1.50 लाख रुपए दिया था। 15 अक्टूबर 2019 को रिजल्ट जारी हुआ जिसमें नंबर कम आने पर नाम नहीं आया था तब ठगी होने का एहसास होने पर पैसे की मांग करने पर टाल मटोल जवाब दिया करता था। सिटी कोतवाली थाने में धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर मनमोहन सिंह को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर रकम लेने की बात स्वीकार की वही 45 हजार रुपए फोन के माध्यम से लौटने की बात स्वीकार की है। जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

"हर घर दिवाली, अपनों की दिवाली" कार्यक्रम के तहत एडिशनल एसपी रामगोपाल करियारे ने नेत्रहीन बच्चों में बांटी खुशियां

❒ पुलिस और समाजिक संगठनों की पहल पर बाल विद्या मंदिर आश्रम अमलीडीह के विशेष बच्चों में मिठाईयां और फटाखे, मिठाईयां, कपड़ों का किया वितरण

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर जिला पुलिस द्वारा समाजिक संगठनों के साथ जिले के वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों और आश्रम में रहने वाले विशेष बच्चों के बीच समय व्यतीत कर अपनत्व देने कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। विदित हो कि पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में दीपावली के पूर्व संध्या पर जिले के वृद्धाश्रमों और विशेष जरूरतमंद बच्चों के बीच जाकर मिठाइयों, कपड़ों और फटाखों का वितरण किया, जिससे ये पर्व उनके लिए भी उतना ही उज्जवल बना।

इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दिनांक 07.11.24 को एडिशनल एसपी रामगोपाल करियारे, वी क्लब स्माइल की डॉ. सविता साव, लायंस क्लब के राजेश अग्रवाल और थाना पूंजीपथरा स्टाफ ग्राम अमलीडीह स्थित नेत्रहीन बच्चों के बाल विद्या मंदिर दिव्यांग आश्रम पहुंचे। एडिशनल एसपी करियारे ने बच्चों और आश्रम संचालक प्रधान से उनका हाल चाल जाना, उन्हें दिपावली और आज के पवित्र पर्व छठ की शुभकामनाएं दी। बच्चों से उनकी पढाई और रूचि के संबंध में जाना, बच्चों ने गीत संगीत में अपने कला का प्रदर्शन किए जिसके बाद एडिशनल एसपी करियारे द्वारा डॉ0 सविता साव, राजेश अग्रवाल और पुलिसकर्मियों के साथ आश्रम के बच्चों में मिठाइयां, पटाखे, कपड़े एवं अन्य जरूरत के सामग्री वितरित की गई। करियारे ने संचालक प्रधान को नियमित संपर्क में रहने बताया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में पुलिस विभाग के साथ सहयोगी संस्था लायंस क्लब मिड टाउन, दिव्य शक्ति, वी क्लब स्माइल, लाइंस क्लब प्राइड, हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन, रोटरी ग्रेटर, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति, कार्डिनल रोटी बैंक, मार्निंग वाकर्स ग्रुप, विप्र फाउण्डेशन तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार अपराध नियंत्रण ब्यूरो आदि का विशेष सहभागिता रही, आगे भी इसी प्रकार के सामुदायिक कार्यों जारी रहेंगे।

वकील के गुम मोबाईल नंबर से दी गई थी शाहरूख खान को धमकी

रायपुर | आरएनएस

बॉलीवुड कलाकार शाहरुख खान को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से कॉल पर जान से मारने की धमकी मिलने के मामले में मोबाईल नंबर के आधार पर एक व्यक्ति को ढूंढ निकाला है। पुलिस ने लोकेशन के आधार पर दबिश देकर फैजान खान नामक व्यक्ति तक पहुंची तो पता चला कि फैजान खान एक एडव्होकेट है तथा उनका मोबाईल गुम हुआ था जिससे कॉल किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में वकील को पुछताछ के लिए मुंबई बुलाया है।

बता दें बॉलीवुड कलाकार शाहरूख को फोन कर जान से मारने की धमकी देने तथा 50 लाख रूपये की फिरौती मांगने का मामला सामने आया था। जिसके बाद मुंबई की बांद्रा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बांद्रा पुलिस ने कॉल को ट्रेस किया तो छत्तीसगढ़ के रायपुर का निकला। पुलिस ने लोकेशन के आधार पर दबिश देकर रायपुर में फैजान खान नामक व्यक्ति को ढूंढ निकाला है। पुलिस ने उससे लगभग दो घंटे पूछताछ की तो पता चला कि फैजान खान पेशे से एडवोकेट है। पुछताछ में पुलिस को बताया कि फैजान ने बताया कि दो नवंबर को उनका फ ोन गुम हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने रायपुर के खम्हारडीह पुलिस स्टेशन में दे रखी है। फैजान ने इस संबध में एजेंसी से बातचीत में बातया कि मेरे घर पर स्थानीय पुलिस के साथ मुंबई से दो पुलिसकर्मी आए थे। उन्होंने मुझसे शाहरुख खान के धमकी मामले में करीब दो घंटे पूछताछ की। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके मोबाइल से शाहरुख खान को धमकी दी गई है और 50 लाख रुपये की फि रौती मांगी है। कॉल करने वाले ने यह भी कहा कि रुपये नहीं दिए तो जान से मार देंगे। मैंने पुलिसकर्मियों को बताया कि मेरा फ ोन दो नवंबर को गुम हो गया था। मैं जिला कोर्ट में हूं। पांच नवंबर को मैं कोर्ट में था, एसपी ऑफि स में था। जिस किसने मेरा फ ोन एक्सेस किया है उसे ट्रेस कीजिए। मुंबई पुलिस ने मुझे नोटिस दे दिया है और 14 तारीख को पूछताछ के लिए मुंबई बुलाया है। मैं मुंबई जाऊंगा। मैंने उनके साथ पूरा सहयोग किया है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि उस वक्त आप कहा था, मैंने उनको बताया कि मैं एसपी ऑफि स था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिसकर्मी जब घर आए थे तब मुझे मामले की जानकारी हुई।

सीएम साय आज बलौदाबाजार को देंगे विकास कार्यों की सौगात

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दोपहर 1 बजे बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे। उसके बाद दीपावली मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शाम 6:30 बजे महादेव घाट पहुंचकर छठ महापर्व के कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव कल से शुरू हो रही रोड कांग्रेस की तैयारियों का जायजा लेंगे। दरअसल, रोड कांग्रेस 8 से 11 नवंबर तक साइंस कॉलेज मैदान में होगा। इस कार्यकम में भारत के साथ कई अन्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय सडक़ एवं परिवहनंत्री नितिन गडकरी करेंगे। अरुण साव आज शाम 5 बजकर 45 मिनट में रोड कांग्रेस विषय को लेकर प्रेस कांफ्रेंस भी करेंगे।

हाईकोर्ट ने अवैध रेत उत्खनन पर जताई कड़ी नाराजगी, खनिज विभाग से मांगा जवाब

बिलासपुर | आरएनएस

हाईकोर्ट ने बिलासपुर में अवैध रेत उत्खनन के मामले को गंभीर माना है. कोर्ट ने अरपा नदी में हो रहे अवैध उत्खनन पर कड़ी नाराजगी भी जाहिर की है. रेत के अवैध उत्खनन को लेकर लगी याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डबल बैंच में बुधवार को सुनवाई हुई. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कैसे पर्यावरण का संरक्षण हो पाएगा जब पर्यावरण की धज्जियां उड़ाई जा रही है.

उन्होंने कहा की विभाग आंखें बंद कर बैठा हुआ है. वहीं इस मामले में खनिज विभाग के सचिव से शपथपत्र में जवाब भी तलब किया है. उन्होंने बेहद स्पष्ट और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि शपथ पत्र में यह स्पष्ट करें कि अवैध उत्खनन से व्यक्तिगत कार्रवाई और संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना की क्या कार्रवाई की गई है?

दरअसल, अरपा अर्पण महा अभियान समिति और अन्य याचिका पर लगातार सुनवाई चल रही है. अरपा अर्पण महाअभियान के वकील अंकित पांडे ने 1 जनवरी 2024 से लेकर 7 सितंबर 2024 तक की खबर का कवरिंग मेमो डीबी के सामने पेश किया. वहीं चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने भी लोखंडी में अवैध उत्खनन की खबर पर संज्ञान लिया. इस मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी.

जमीन विवाद पर हत्या का प्रयास, चार गिरफ्तार

रायपुर | आरएनएस

विवरण इस प्रकार है कि दिनांक घटना 05.09.2024 को ग्राम बेमता स्थित आशादेवी साहू को हिस्से में मिली जमीन को आहत् आशादेवी साहू अपने अन्य रिस्तेदारो के साथ खरीदार को दिखाने गई थी जिसकी जानकारी आरोपियो को होने पर आरोपीगण के द्वारा आपत्ति करते हुये आहत् आशादेवी साहू, गोविंद साहू, मंजू साहू को गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी देते हुये आरोपियो के द्वारा एक राय होकर हत्या करने की नियत से अपने पास रखे लोहे के रॉड से मारपीट कर प्राणघातक व गंभीर चोट पहुँचाया गया। सभी आरोपियो से घटना में प्रयुक्त लोहे के रॉड को जप्त कर आरोपियो को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष सिंह द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) केसरीनंदन नायक तथा थाना प्रभारी तिल्दा नेवरा को आरोपियो को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण के सभी आरोपियान गिरफ्तारी के भय से पुलिस से डरकर लुक छिपकर रह रहे थे जिन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। नाम पता आरोपी -

01- आत्माराम साहू पिता कलीराम साहू उम्र 49 साल

02- विश्राम साहू पिता कलीराम साहू उम्र 42 साल

03- सनत साहू पिता कलीराम साहू उम्र 39 साल

04- मुकेश साहू पिता आत्माराम साहू उम्र 26 साल सभी ग्राम बेमता, थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर छ0ग0। सभी आरोपियो से घटना में प्रयुक्त किया गया लोहे का रॉड किया गया जप्त।

रायपुर में 321 लोगों की हिंदू धर्म में घर वापसी, जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज ने किया मार्गदर्शन

रायपुर | आरएनएस

राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज दक्षिण पीठ धाम के द्वारा एक दिवसीय प्रवचन दर्शन और मार्गदर्शन कार्यक्रम रखा गया. इस कार्यक्रम में 50 परिवारों के करीब 321 लोगों की हिंदू धर्म में घर वापसी करवाई गई.

जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ पीठ के प्रमुख घनश्याम माहेश्वरी ने बताया कि स्वामी जगद्गुरु रामानंदाचार्य के द्वारा जो दक्षिण भारत रत्नागिरी से पीठेश्वर हैं. जगतगुरु नरेंद्र महाराज के संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था. उन्होंने कहा आज मार्गदर्शन और शुद्धिकरण का कार्यक्रम था. जो हिंदू दूसरे धर्म में चले गए थे. उन्होंने खुद यहां पर आकर हिंदू धर्म में घर वापसी की है. यह सभी जिलों से लोग आए थे, जिसमें धमतरी, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, महासमुंद, बिलासपुर जैसे विभिन्न प्रांतों के लोग शामिल थे.

इस अवसर पर समाजसेवी सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि आज हवन के साथ में धर्म परिवर्तित लोगों ने घर वापसी की है. उन्होंने बताया कि देशभर में भ्रमित होकर दूसरे धर्मों को अपनाने वाले हिंदू परिवारों को मार्गदर्शन देकर घर वापसी करवाई जा रही है. करीब 1 लाख 65 हजार परिवारों का अब तक हिंदू धर्म में वापसी हो चुका है, जो अस्थाई नहीं स्थाई रूप से घर वापसी होती है.

वही हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में चले गए कुछ लोगों ने बातचीत करते हुए बताया कि दोस्त लोगों के साथ में चले गए थे. धीरे-धीरे सब जानने लगे, परिवार वाले भी जानने लगे. बाद में बताया गया कि सबको उन्हें छोडऩा पड़ेगा, समाज में भी अलग होना पड़ेगा. समाज में भी कहा गया था कि वहां जाओगे तो छोड़ दिया जाएगा. लालच नहीं दिया गया था. वहां जाने से सब ठीक होता है यह सुनकर वे लोग गए थे. दल्ली राजहरा से करीब 6 से 7 लोग दूसरे धर्म में चले गए थे.

इस अवसर पर समाजसेवी सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि आज हवन के साथ में धर्म परिवर्तित लोगों ने घर वापसी की है. उन्होंने बताया कि देशभर में भ्रमित होकर दूसरे धर्मों को अपनाने वाले हिंदू परिवारों को मार्गदर्शन देकर घर वापसी करवाई जा रही है. करीब 1 लाख 65 हजार परिवारों का अब तक हिंदू धर्म में वापसी हो चुका है, जो अस्थाई नहीं स्थाई रूप से घर वापसी होती है.

वही हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में चले गए कुछ लोगों ने बातचीत करते हुए बताया कि दोस्त लोगों के साथ में चले गए थे. धीरे-धीरे सब जानने लगे, परिवार वाले भी जानने लगे. बाद में बताया गया कि सबको उन्हें छोडऩा पड़ेगा, समाज में भी अलग होना पड़ेगा. समाज में भी कहा गया था कि वहां जाओगे तो छोड़ दिया जाएगा. लालच नहीं दिया गया था. वहां जाने से सब ठीक होता है यह सुनकर वे लोग गए थे. दल्ली राजहरा से करीब 6 से 7 लोग दूसरे धर्म में चले गए थे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480